पत्रांक–15/अमृत–08–03/2025 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०
पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, छपरा।

पटना, दिनांक ....

विषयः– केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT-2.0) अंतर्गत छपरा जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि 19,14,56,000/–रू० (उन्नीस करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना की समाप्ति के पश्चात् अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन–2.0 (AMRUT-2.0) योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के नगर निकायों में जल संरक्षण, जल स्रोतो का पुनरूद्धार, पुनर्चक्रण, पेय जलापूर्ति एवं उपयोग किये गये पानी को उपचारित कर पुनर्उपयोग तथा वर्षा जल संग्रहण का कार्यान्वयन एवं हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि किया जाना है तथा इसके साथ ही राज्य के पुराने अमृत शहर में सिवरेज/सेप्टेज कनेक्शन सुलभ किया जाना है। इस योजना (AMRUT-2.0) का क्रियान्वयन परियोजना निधि में आवंटित केन्द्रांश तथा इसके अनुपातिक राज्यांश की राशि से किया जाना है।

2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन–2.0 (AMRUT-2.0) योजनान्तर्गत छपरा जलापूर्ति परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) विभाग द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा तैयार कराया गया है, जिसपर बुडको द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा दिनांक–26.12.2024 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा इस परियोजना के लिए राशि रू0 19.1456 करोड़ की स्वीकति की अनुशंसा की गई है।

3. उक्त के आलोक में अमृत–2.0 योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ–02 में अंकित परियोजना के लिए स्तम्भ–04 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि करोड़ रू0)

क्र0सं0	**परियोजनाओं का नाम एवं विवरणी**	**प्राक्कलित राशि**	**प्रशासनिक स्वीकृति की राशि**
1	*2*	*3*	*4*
01	छपरा जलापूर्ति योजना अंतर्गत 9951 गृह जल संयोजन हेतु 2 ट्यूब्वेल, 2 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 1 जलमिनार, 1 जलमिनार कैम्पस, 2.050 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 9.000 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क का कार्य।	रू0 19.1456	रू0 19.1456
कुल राशि		**रू0 19.1456**	**रू0 19.1456**

(उन्नीस करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार रू0)

4. उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. योजना का कार्यान्वयन बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको), बिहार पटना द्वारा कराया जायेगा।

ii. योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

iii. जिला पदाधिकारी, छपरा एवं नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा द्वारा परियोजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षक/निर्देशन समय–समय पर किया जायेगा।

iv. योजना हेतु कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिसपर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

v. प्रबंध निदेशक, बुडको तथा नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा यह आश्वस्त हो लेंगे कि योजना की डुप्लीकेसी किसी स्तर पर नही हो।

vi. यह परियोजना अमृत 2.0 योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

6. उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राशि के आवंटन हेतु अलग से राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–15/अमृत–08–03/2025 1116 दिनांक–21/03/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/आयुक्त, छपरा प्रमण्डल/जिला पदाधिकारी, छपरा/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं प्रशाखा 06, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/03/25

सरकार के सचिव।